भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 836
जिसका उत्तर बुधवार 23 नवंबर, 2016 को दिया जाना है

कारों की सुरक्षा संबंधी खामियों की निगरानी के लिए विनियामक

836. श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जर्मनी के एक प्रमुख लग्जरी कार विनिर्माता के विरुद्ध उत्सर्जन मानकों और अन्य विनिर्माण खामियों की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में मिली शिकायतों पर क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सरकार के पास त्रुटिपूर्ण वाहनों अथवा उनके मानकीकरण के संबंध में कोई विधिक ढांचा उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार कार विनिर्माताओं की सुरक्षा खामियों की कड़ी निगरानी के लिए विनियामक बनाने का विचार रखती है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): ऑटोमोबाइल विनिर्माता, फॉक्सवैगन द्वारा उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन किए जाने के संबंध में मीडिया में रिपोर्टों के अनुसरण में उक्त वाहन के संबंध में जांच एजेन्सियों से उत्पादन के अनुरूप (सीओपी) संबंधी रिपोर्ट मांगी गई थी। तत्पश्चात् जांच एजेन्सियों द्वारा प्राप्त की गई रिपोर्ट के आधार पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निष्कर्षों की पड़ताल करने के लिए दिनांक 28.03.2016 को विशेषज्ञों के एक पैनल का गठन किया है, जिसमें आईआईटी दिल्ली, आईआईपी, देहरादून और आईआईटी, मुंबई से प्रोफेसर शामिल हैं।

(ग) और (घ): भारत में बेचे जाने वाले सभी कार मॉडलों की जांच केन्द्रीय मोटरयान नियमों के तहत अधिसूचित मानकों के अनुसार की जाती है। यह वाहन विनिर्माताओं का उत्तरदायित्व है कि अधिसूचित मानकों पर खरा उतरने वाले वाहन का उत्पादन करें। जांच एजेन्सियां भारत सरकार की ओर से उत्पादन के अनुरूप (सीओपी) नामक प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे अनुपालन का सत्यापन करती हैं।

*****